राजस्थान सरकार
वित्त (कर) विभाग

क्रमांकः– प. 12 (69) वित्त/कर/10 पार्ट दिनांक 22–11–2011

बैठक का कार्यवाही विवरण

राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय से सम्बन्धित कुछ बिन्दुओं पर चर्चा करने हेतु दिनांक 11.11.11 को 12.30 बजे वित्त सचिव (राजस्व) के कक्ष में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में निम्न अधिकारियों ने भाग लिया :–

1. श्री अखिल अरोरा, महानिदेशक, राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय।
2. डॉ0 रविकुमार एस., उप शासन सचिव, वित्त (कर) विभाग।
3. श्री सुनील धारीवाल, अतिरिक्त निदेशक, राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय।
4. श्री मूल चन्द शर्मा, अतिरिक्त निदेशक, राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय।
5. श्री मदन लाल, अतिरिक्त आयुक्त (कर), वाणिज्यिक कर विभाग।

बैठक में राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय की तरफ से निम्न बिन्दुओं पर चर्चा की गई –

1. राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय में पदस्थापित RIO एवं उच्चतर पदों के अधिकारियों द्वारा किये गये किसी कर निर्धारण आदेश के पश्चात् पत्रावली में आगामी कार्यवाही करने की अधिकारिता विभागीय क्षेत्राधिकार अनुसार होनी चाहिये।

2. राजस्थान वैट अधिनियम, 2003 की धारा 97 बी के तहत वित्त विभाग द्वारा जारी अधिसूचना संख्या प. 12 (69) वित्त/कर/10 पार्ट–18 दिनांक 17.5.2011 के जरिये धारा 22, 23, 24, 27 एवं 28 के अतिरिक्त अन्य प्रावधानों में कर निर्धारण अधिकारी के समान अधिकार राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय में पदस्थापित RIO एवं उच्चतर पदों के अधिकारियों को प्रदान किये गये हैं। करापवंचन/कर परिवर्जन के प्रकरणों में आरोपित/आरोपणीय शास्ति के प्रशमन हेतु यदि किसी व्यवहारी द्वारा धारा 68 (1) के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो उसका निपटारा करने की शक्तियॉ वाणिज्यिक कर विभाग में ही निहित रखना।

3. राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय में पदस्थापित अधिकारियों को सिर्फ जांच, तलाशी एवं अभिग्रहण की शक्तियां ही प्रदान की जायें। उनके द्वारा बनाये गये कर अपवंचन/कर परिवर्जन के प्रकरणों में कर निर्धारण आदेश पारित करने की कार्यवाही वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारियों से ही करायी जाये ।

अतिरिक्त आयुक्त (कर), वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा यह मत व्यक्त किया गया कि करापवंचन/कर परिवर्जन के प्रकरणों में आरोपित/आरोपणीय शास्ति के प्रशमन हेतु धारा 68(1) के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का निष्पादन करने की शक्तियॉं राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय को वर्तमान प्रावधानों में प्राप्त नहीं हैं तथा वाणिज्यिक कर विभाग भी ऐसी शक्तियॉं राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय को दिये जाने के पक्ष में नहीं है ।

बैठक में विचारोपरान्त निम्न बिन्दुओं के सम्बन्ध में सहमति जताई गई है :–

1. राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय में पदस्थापित अधिकारी कर निर्धारण आदेश पारित करने के उपरान्त अग्रिम कार्यवाही हेतु सम्बन्धित पत्रावली वाणिज्यिक कर विभाग को स्थानान्तरित करेंगे।

2. धारा 68(1) के तहत व्यवहारी से प्राप्त प्रशमन प्रार्थना पत्र को निष्पादित करने की शक्तियॉं धारा 68(2) के तहत सम्बन्धित उपायुक्त (प्रशासन), वाणिज्यिक कर विभाग में निहित हैं। यदि व्यवहारी चाहे तो सम्बन्धित उपायुक्त (प्रशासन) को प्रशमन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उसका निर्णय करवा सकता है। प्रशमन प्रार्थना पत्र आसूचना निदेशालय में प्रस्तुत किये जाने पर, निदेशालय द्वारा प्रार्थना पत्र नोडल अधिकारी के माध्यम से संबंधित उपायुक्त को अग्रेषित किया जायेगा ।

3. राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय में पदस्थापित अधिकारियों द्वारा बनाये गये कर अपवंचन/कर परिवर्जन के प्रकरणों में सामान्यता प्रकरण ड्राफ्ट नोटिस बनाकर विभाग को अग्रिम कार्यवाही हेतु अग्रेषित किया जाएगा। विशेष प्रकरणों में महानिदेशक, राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय द्वारा निर्देशित किये जाने पर अधिकारियों द्वारा कर निर्धारण आदेश पारित किये जायेंगे ।

बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

||
(डॉ0 रविकुमार एस.)
उप शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सहायक, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग।
3. निजी सहायक, महानिदेशक, राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय, वित्त भवन, जयपुर।
4. निजी सहायक, शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग।

उप शासन सचिव

एफ–3(1) मिनटस/एस.डी.आर.आई./2011/2432 दिनांक 12.12.2011

प्रति श्री ..... राजस्व आसूचना अधिकारी को भेजकर लेख है कि बैठक दिनांक 11.11.2011 की कार्यवाही विवरण के अनुसार कार्य करें।

अतिरिक्त निदेशक